



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13102020-222406
CG-DL-W-13102020-222406

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, अक्टूबर 4—अक्टूबर 10, 2020, शनिवार/ आश्विन 12—आश्विन 18, 1942
No. 12] NEW DELHI, OCTOBER 4—OCTOBER 10, 2020, SATURDAY/ASVINA 12—ASVINA 18, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2020

का.नि.आ. 15.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय नौसेना समूह 'ग' (गैर औद्योगिक), 'अस्पताल कर्मचारी' पद भर्ती नियम, 1981 को जहाँ तक उसका संबंध 'मैट्रन' से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में 'सहायक परिचर्या अधीक्षक' (पूर्ववर्ती मैट्रन) के पदों पर भर्ती का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय (नौसेना) 'सहायक परिचर्या अधीक्षक' (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अन्य अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक परिचर्या अधीक्षक	4* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर -10 (रु. 56100-177500)	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आवेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन स्तर -7 (रु. 44900-142400) में ऐसे परिचारिका जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है तथा जिसने यथा विहित दो से चार सप्ताह का परिचारिका सेवाएँ, रोगी की देखरेख और कर्मचारी प्रबंधन में आंतरिक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया है। टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की दशा में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (नौसेना), -सदस्य रक्षा मंत्रालय 3. निदेशक, सिविलियन कार्मिक एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) -सदस्य 4. संयुक्त निदेशक चिकित्सा सेवाएँ, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) -सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. संयुक्त सचिव(नौसेना), रक्षा मंत्रालय -अध्यक्ष 2. निदेशक, सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) -सदस्य 3. निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

[सी.पी (जी)/0667/आर आर/ ए.एन .एस /188 /र.(नि./2020]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 17th September, 2020

S.R.O. 15.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Navy Group 'C' Non-Industrial Posts (Hospital Staff) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Matron, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Nursing Superintendent (earlier called Matron) in the Ministry of Defence (Navy), namely:-

1. **Short title and commencement .-** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy, Assistant Nursing Superintendent (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in Pay Matrix.**—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .-** No person,-

(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Ex-servicemen, other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Nursing Superintendent, Navy	4*(2020) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A' (Gazetted), Non-Ministerial	Level – 10 in the pay matrix (Rs. 56100 – 177500)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	100% promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Nurse in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with three years regular service in the grade with two to four weeks of in-house training on Nursing Services, Patient Care and Staff Management. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman / Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence - Member; 3. Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence(Navy) - Member; 4. Joint Director of Medical Services, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary

qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Joint Secretary (Navy) - Chairman; Ministry of Defence 2. Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence(Navy) - Member; 3. Director of Medical Services, Integrated Headquarters, Ministry of Defence(Navy) - Member.	
---	--	--

[F. No. CP(G)/0667/RR/ANS/ 188 /D(Appts)/2020]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.